Pruy 3/7/15

PO (C.O) Secy (Admn) 31/7/15 PA Circulate Dr. Shekhawat 31/7

भास्कर ए. सावंत
आई.ए.एस.
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन,जनपथ
जयपुर– 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि० कार्या० : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnl.in, CIN: U40109RJ2000SGC016485

क्रमांक: अध्यक्ष डिस्कॉम्स / मुअ.पीपीएम / पत्रा. / प्रे. 191 जयपुर, दिनांक: 29-7-15

दिशा निर्देश

"हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार" शिविरों में कनेक्शन देने की कार्यवाही

हर घर बिजली देने हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम के पत्र संख्या जेपीडी / प्र.नि. / मुअ.पीपीएम / प्रे. 140 दिनांक 11.06.2015 एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स / एमआईएस / पत्रा. प्रे. 63, जयपुर दिनांक 20.07.2015 द्वारा हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार शिविरों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। 21 जुलाई, 2015 को आयोजित विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान कुछ अधिकारियों ने शिविरों में कनेक्शन देने की प्राथमिकता एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ढाणियों में भी कनेक्शन देने के बारे में जानकारी चाही थी। विडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान इस बारे में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी उपलब्ध सामान के अनुरूप घरेलू कनेक्शन देने की निम्न प्रक्रिया अपनायेंगें :–

1. वर्तमान में ऐसे घरेलू आवेदन जिनकी मांग राशि जमा है एवं मात्र सर्विस लाईन द्वारा ही कनेक्शन जारी किये जा सकते है उन्हे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें तथा शिविरों के आयोजन से पूर्व ही ऐसे सभी कनेक्शनों को जारी कर दिया जावे।

2. शिविरों के आयोजन के निर्धारित तिथि से पूर्व विद्युतीकृत क्षेत्र में घर–घर जा कर ऐसे परिवारों से कनेक्शन हेतु आवेदन भरने का आग्रह करेगें जिन्होने अभी तक कनेक्शन नहीं लिये है एवं विद्युत वितरण तंत्र उनके आवास के समक्ष उपलब्ध है। ऐसे कनेक्शन जारी करने से विद्युत चोरी की संभावना भी कम हो सकेगी।

3. ऐसे आवेदन जिनके मांग पत्र जारी नहीं किये गये उनके मांग पत्र भी शीघ्रता से जारी किये जावें। मांग पत्र राशि जमा होने पर सर्विस लाईन कनेक्शनों को भी शिविर एवं शिविर के बाद प्राथमिकता से जारी किये जावें।

4. ऐसे कनेक्शन जिनके मांग पत्र जमा है व वितरण तंत्र विस्तार के कार्य हेतु लम्बित है उनके कार्य भी प्राथमिकता अनुसार शीघ्रता से करा कर कनेक्शन जारी किये जावें।

5. विद्युतीकृत गांव एवं ढाणियों के आबादी क्षेत्र में जहां वितरण तंत्र का विस्तार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 12 वे प्लान में स्वीकृत हो गया है अथवा जिन गांव व ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु योजनाऐं बनाकर स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है के लिए इन शिविरों में प्राप्त कनेक्शन हेतु आवेदनों के लिए वितरण तंत्र का विस्तार उन योजनाओं में ही किया जायेगा।

SE (IT) Put up on website

JEN (P1. upload)

C.E. (IT Plan) A.V.V.N.L. R.R. No. 1403 14/8/15 Section

SE (IT), AVVNL, AJMER
R. R. No. 1326 D. 18/08/15
SECTION

6. शिविरों में बी.पी.एल. परिवार यदि विद्युत कनेक्शन हेतु आते हैं तो उनके कनेक्शन दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना या स्वीकृति हेतु भेजी गई योजना के कार्य प्रारम्भ होते ही प्राथमिकता से करावे व सूची में चिन्हित करलें।

7. ऐसे गांव एवं ढाणियों जो विद्युतीकृत नहीं है उन्हे स्वीकृत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के अन्तर्गत 12 वे प्लान में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है एवं जिनमें से अधिकतर योजनाओं के लिए कार्यादेश जारी कर दिये गये है, के अन्तर्गत विद्युतीकृत करने के बाद ही ऐसे गांव व ढाणियों में घरेलू कनेक्शन दिये जा सकेगें। यदि शिविरों में ऐसी ढाणियों अथवा गांवों के आवासों में कनेक्शन हेतु आवेदक आते है तो उनको अलग से सूची बद्ध कर लिया जावे एवं ऐसे गांव व ढाणियों के विद्युतीकरण के कार्यो को प्राथमिकता से करवाया जावे, विद्युतीकरण के बाद ऐसे आवासों के कनेक्शन हेतु आवेदन लेकर कनेक्शन दिये जावेगें।

8. ऐसे गांव एवं ढाणियों जो विद्युतीकृत नहीं है एवं उनके विद्युतीकरण की योजनाऐं बनाकर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु केन्द्र सरकार को हाल ही में भेजी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में कनेक्शन देने की कार्यवाही योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद तदानुसार वितरण तंत्र का विस्तार करने के बाद ही की जावेगी। यदि शिविरों में ऐसी ढाणियों अथवा गांवों के आवासों में कनेक्शन हेतु इच्छूक आवेदक आते है तो उनको भी अलग से सूची बद्ध कर लिया जावे एवं ऐसे गांव व ढाणियों के विद्युतीकरण की योजनाऐं केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य संपादित होने पर ऐसे आवासों के कनेक्शन हेतु आवेदन लेकर कनेक्शन दिये जावेगें।

9. ऐसे आवेदन जो मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) के अन्तर्गत कनेक्शन हेतु लम्बित है उनमें से, ऐसे आवास जो राष्ट्रीय हैबीटेशन सर्वेक्षण–2003 में चिन्हित ढाणियों में है एवं योजना के नियमों के अन्तर्गत सर्वे में योग्य पाये गये है उनको हाल ही में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत योजना बनाकर स्वीकृत हेतु केन्द्र सरकार को हाल ही में भेजा गया है। ऐसे कनेक्शन केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद वितरण तंत्र का विस्तार कर दिये जावेगें।

10. ऐसे एकल अथवा समूह मे आवेदक जहां वितरण तंत्र उपलब्ध नही है या आबादी से बाहर है एवं जो स्वः वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लेने में इच्छुक है के आवेदन भी स्वीकार कर वितरण तंत्र के लिए आने वाली लागत राशि जमा कराने पर किये जावें।

11. ऐसी कॉलोनियां जो कि बिल्डरों /सोसाईटियों/ स्वयं–समूह द्वारा स्वयं विकसित की गई है यदि ऐसी कॉलोनियों/बिल्डिंगों के आवासी कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करते है तो जयपुर डिस्कॉम के आदेश संख्या जेपीआर–754 दिनांक 08.04.2015 (इसी प्रकार अन्य डिस्कॉम में जारी किये गये आदेशों) के अनुरूप विद्युत तंत्र विस्तार हेतु राशि जमा कराने पर कनेक्शन दिये जा सकेगें।

12. इन शिविरों में घरेलू कनेक्शन देने का अभियान प्रमुख रूप से ऐसे लम्बित कनेक्शनों का शीघ्रता से निस्तारण करना जो कि लम्बे समय से निगमों के कार्यालयों में लम्बित है व उन पर स्थानीय स्तर पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

13. इन शिविरों में खेतों में आबादी से बाहर आवासों को कनेक्शन देने की कोई योजना नहीं है। ऐसे आवासों के लिए 100 व 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण के बाद कनेक्शन देने हेतु योजना बनाने पर विचार किया जावेगा।

14. वर्तमान में लंबित घरेलू कनेक्शनों एवं शिविरों में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु CLRC रेट कॉन्ट्रेक्ट के तहत आउट ऑफ रोस्टर कार्यादेश जारी करने हेतु छूट की सीमा दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक बढाई जाती है। आउट ऑफ रोस्टर की छूट केवल उन्हीं कॉन्ट्रेक्टरों के लिये होगी जिनके पास 5 लाख या उससे अधिक राशि के वृत कार्यालयों द्वारा दिये गये कार्यादेश लम्बित न हों।

15. संभागीय मुख्य अभियन्ता – अधीक्षण अभियन्ता – अधिशाषी अभियन्ता–सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी लम्बित घरेलू कनेक्शनों को देने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार शिविरों के दौरान पूर्ण करें एवं आवश्यक सामान, संसाधन की व्यवस्था पहले से ही करलें।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर / जोधपुर ।
2. जिला कलैक्टर, जिला ....
3. निदेशक (वित्त / तकनीकी / पीटी), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर को संबंधित डिस्कॉम के सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित करने, निरीक्षण करने व मॉनिटरिंग करने की कार्यवाही एवं तकनीकी कर्मचारियों को तदानुसार आदेशित करना सुनिश्चित करने के लिये।
5. मुख्य अभियन्ता (पीपीपी / वाणिज्य / एमएम / आईटी / एमएण्डपी / आरडीपीपीसी), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
6. संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव–ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव (प्रशासन), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (एफएम / आईए / राजस्व / कंट्रोल / ....), जयपुर / अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
11. प्रावैधिक सहायक प्रबंध निदेशक, अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर / जोधपुर ।
12. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(गिरीश जोशी)
मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)

क्र. अविविनिलि / सचिव (प्रशा.) / कार्मिक / प. प्रे. 4293 दि 10.08.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. ~~मुख्य / सम्भागीय~~ मुख्य अभियंता (IT),अविविनिलि, अजमेर
2. मुख्य लेखाधिकारी ( ),अविविनिलि, अजमेर।
3. अधीक्षण अभियंता ( ), अविविनिलि,__________।
4. कम्पनी सचिव, अविविनिलि, अजमेर।
5. उपभण्डार नियंत्रक, अविविनिलि, अजमेर।
6. उपनिदेशक कार्मिक ( ), अविविनिलि,_______।
7. कार्मिक अधिकारी / सहायक कार्मिक अधिकारी ( ), अविविनिलि,_______।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, अविविनिलि, अजमेर।
9. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि, अजमेर।
10. निजी सहायक, निदेशक (वित्त / तकनीकी), अविविनिलि, अजमेर।

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)
सचिव (प्रशासन)
अविविनिलि, अजमेर